



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक:एफ (1)/1(67) आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/रा.क.च.बो./2019

दिनांक: 16-01-2019

::आदेश::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) उद्योग प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 में परिणाम के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र क्रमांक प.14(32)(2)आरएसएसबी/अर्थना/उ.वि./भर्ती/पात्रता जांच/2018/16 दिनांक 07.01.2019 की अभिशंषा पर राजस्थान उद्योग सेवा नियम-1966 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित सफल 02 अभ्यर्थियों को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (उद्योग प्रसार अधिकारी) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथि पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से प्रभावी होगी:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्म तिथि	रोल नं.	मेरिट नं./श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	श्री अतुल कुमार शर्मा पुत्र श्री राजाबाबू शर्मा निवासी- पंजाब नेशनल बैंक के पास, सरमथुरा, धौलपुर - 328026	05.01.1990	464966	11 (सामान्य)	जिला उद्योग केन्द्र, धौलपुर उद्योग प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर
2.	श्री सूर्यकान्त पाण्डेय पुत्र श्री ओमप्रकाश पाण्डेय निवासी- यूको बैंक के पास, भुसावर, भरतपुर - 321406	11.09.1994	432944	13 (सामान्य)	जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर उद्योग प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर

नियुक्ति की शर्तें:-

- इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2013 Pt दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही हैं जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की हैं और जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
- उक्त नियुक्तियां राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम-1966 और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यक्षीन होंगी।
- यह नियुक्ति अस्थाई है। सभी अभ्यर्थी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 30 के अन्तर्गत 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल में रहेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है।
- यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के उद्योग प्रसार अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेंगी।
- राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

7. किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं मानी जायेगी अर्थात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
8. राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/2/2003 दिनांक 09.06.2003 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ13(1) एफडी/रूल्स/03 दिनांक 02.08.2005 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र आदि संतोषजनक पाये जाने के अध्यक्षीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल मानी जावेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
11. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 04 सप्ताह में कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रस्तुत करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

(कृष्णा कान्त पाठक)  
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक: एफ (1)/1(67) आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/रा.क.च.बो./2019

दिनांक: 16-01-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, उद्योग ग्रुप-2 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग।
4. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग, संस्थापन।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त फंक्शनल अधिकारी, मुख्यालय।
7. सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, धौलपुर/सवाई माधोपुर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र से मिलान कर एक प्रति प्राप्त करेंगे तथा दहेज न लेने का शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं कार्यग्रहण करने की सूचना मुख्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे।
8. संबंधित कार्मिक (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
9. रक्षित पत्रावली।

(एस.एस.शाह)  
संयुक्त निदेशक, उद्योग